ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, मृतक की पत्नी सहित मुख्य आरोपी गिरफ्तार

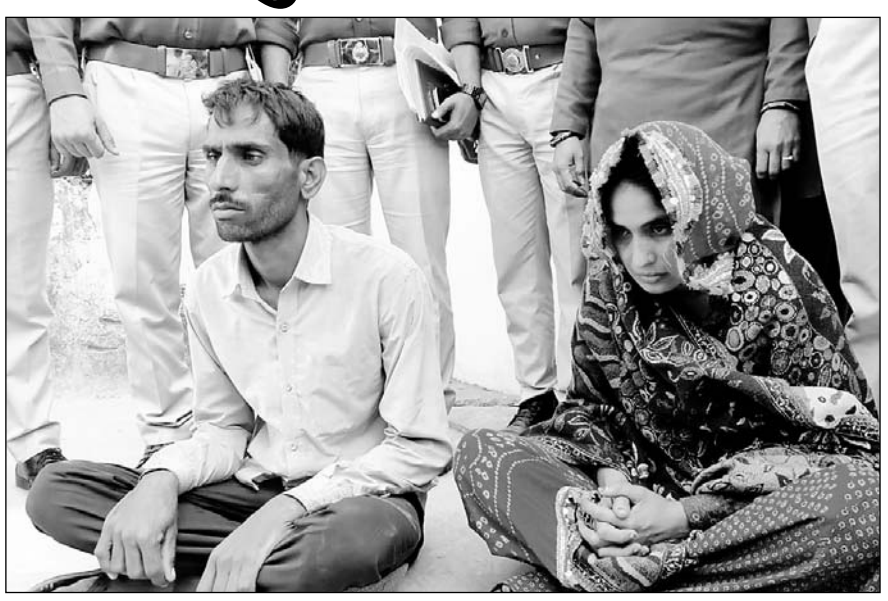

पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया।

सीकर (निसं)। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है वही मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया।

मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि मृतक रामधन मीणा की पत्नी ही मुख्य सूत्रधार थी। जिसे गिरफ्तार किया गया है। घटना का विवरण:- दिनांक 29.01.2024 सिहोट बडी ठाम मे रामधन मीणा पुत्र धूड़ाराम मीणा निवासी शिवसिंहपुरा सीकर हाल खेत तन सिहोट बड़ी की हत्या हो गई है थी। सूचना पर सिहोट बड़ी से रैवासी की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर मौके पर पहुंचे। जहां पर श्यामलाल एएसआई मय जाप्ता के पूर्व से उपस्थित थे। तथा 30-40 आदमी रास्ते के पास जमा हो रखे थे।

उक्त आम रास्ते पर बने आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए लगाये गये लकड़ियों के खिड़का के पास रेत पर एक युवक की खुन आलुदा लाश पड़ी हुई थी जिसको आसपास उपस्थित लोगों ने पास के खेत मालिक रामधन मीणा की लाश होना बताया। थानाधिकारी द्वारा मौके की स्थिति को सुरक्षित रखते हुए उचित दुरी से शव का निरीक्षण किया गया व फोटोठाफी की गई तथा घटनास्थल को चारों तरफ से सुरक्षित करवाया गया। बताया कि मृतक रामधन का भाई फ़ौज मे है जिसके आने के बाद कार्यवाही की बात कही। बाद कार्यवाही मृतक के शव को पोस्टमार्टम की कार्यवाही हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोसल भिजवाया गया। विनोद पुत्र हरिराम जाति मीणा उम्र 25 साल निवासी शिवसिंहपुरा थाना उधोगनगर जिला सीकर रहने वाला है।

वार्ड न 03 शिवसिंहपुरा थाना उधोग नगर जिला सीकर ने उपस्थित थाना होकर इस आशय की पेश की कि मै आदि घटना के संबंध में परिवादी विनोद पुत्र मीणा पुत्र हरिराम जाति मीणा उम्र 25 साल निवासी मेरा ताउ का लडका रामधन मीणा पुत्र स्व धुडाराम मीणा निवासी शिवसिंहपुरा थाना उधोग नगर हाल सिहोट बडी थाना धोद जिला सीकर अपने खेत सिहोट बडी में खेती का काम करता था । रामधन दिनांक 29-01-24 को समय करीब 08-00 पीएम के आस पास अपने मकान के सामने खेत का गेट बन्द करने गया था । जिसके सिर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

अनुसंधान थानाधिकारी द्वारा प्रारम्भ किया गया। थानाधिकारी थाना धोद के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। आप पास के लोगो से गहनता से पूछताछ की गई। ग्राम सिहोट बडी व आस पास के स्थानो पर सीसीटीवी कैमरो का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रकरण में आरोपीगण 01 सुरेश कुमार उर्फ काल उर्फ नानू पुत्र सांवरमल जाति मीणा उम्र 35 साल निवासी सिहोट बड़ी पुलिस थाना धोद जिला सीकर 02 पूजा देवी पत्नी रामचन जाति मीणा उम्र 27 साल निवासी वार्ड न . 3. पुजिन मौहल्ला शिवसिंहपुरा पुलिस थाना उद्योगनगर जिला सीकर हाल सिहोट बड़ी पुलिस थाना धोद जिला सीकर को गिरफ्तार किया गया।

दसवीं कक्षा के लापता छात्र का शव कुएं में मिला

गांव में फैली सनसनी, 3 दिन से गायब था छात्र

ग्रामीणों ने शव को एंबुलेंस में रखवाया।

अजमेर/नसीराबाद, (कासं)। जिले के नसीराबाद उपखंड के नांदला के सरकारी स्कूल में पढने वाले तीन दिन से लापता दसवीं के छात्र का शव मंगलवार सुबह कुए में पड़ा मिला। कुए में शव होने की सूचना मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई और मौके बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुए से निकलवा कर परिजन को सूचना दी। सदर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजन के सुपुर्द कर दिया। मालूम हो कि बच्चे के पिता ने तीन दिन पहले लापता होने की गुमशुदगी रिपोर्ट सदर थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई।

- **पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंपा, पुलिस जांच में जुटी**

नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र के नांदला गांव निवासी रोडाराम जाट ने थाने में छात्र के लापता होने की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि उनका 16 साल का बेटा शंकर सरकारी स्कूल की कक्षा 10वीं का छात्र है। 10 फरवरी की रात आठ बजे के करीब घर से टहलने के लिए निकला था, साढ़े आठ बजे करीब पड़ोस में ही स्थित तेजाजी के मंदिर के पास उसे बैठा देखा था। बेटे को घर चलने के लिए कहा, लेकिन उसने 10 से 15 मिनट में आने की बात कही। मगर सुबह तक भी घर नहीं लौटा। गांव और रिश्तेदारी में काफी तलाश किया, मगर उसका कहीं पता नहीं चला है।

मंगलवार को कुए में मिला शव :-मंगलवार सुबह गांव के बाहर बने कुए में ग्रामीण को शव तैरता दिखाई दिया। इसकी सूचना अन्य ग्रामीणों को दी तो मौके पर भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

मौसम में परिवर्तन, मौसमी बीमारियां बढ़ी

सी.एच.सी. पावटा सहित प्राईवेट अस्पतालों में भी लगने लगी कतारें

सामुदायिक स्वास्थ्य पावटा में मरीजों की कतारें लगने लगी है।

पावटा, (निसं)। गत दिनों से मौसम में हो रहे उतार-चढ़ाव के कारण मौसमी बीमारियां बढ़ने लगी है। हालात यह है कि पावटा उपखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित निजी चिकित्सालयों में मौसमी बीमारियों के डेढ़ गुना तक मरीज बढ़ गए है। ऐसे में चिकित्सकों की ओर से सर्दी और शीतलहर से बचाव की सलाह दी जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य पावटा में मरीजों की कतारें लगने लगी है।

हाल ही में मौसम में एकाएक परितर्वन हुआ है। इसका असर आमजन पर भी हो गया है। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार का प्रकोप अचानक से बढ गया है। जिससे चिकित्सा संस्थानों पर मरीजों की भीड़ देखी जा सकती है। मौसम परिवर्तन से बुखार, जुकाम, सर्दी, खांसी का प्रकोप बढ़ता है। ऐसे में मौसम में बदलाव के दौरान खानपान व रहन-सहन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। सामुदायिक स्वास्थ्य पावटा वरिष्ठ चिकित्सक अशोक जाट, निजी चिकित्सालय डॉ. रवि अंजली गुप्ता, डॉ. सुरेंद्र यादव की ओर से लोगों को खान-पान का ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। वही उन्होंने बताया कि विशेषकर सर्दी-जुकाम, खांसी, बुखार के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा त्वचा संबंधी रोगियों की संख्या भी बढ़ी है। मौसम सर्द होने और शीतलहर बढ़ने के साथ ही अस्पताल में मरीजों की संया में बढ़ोतरी हो गई है। चिकित्सकों के अनुसार बदलते मौसम में बच्चों में उल्टी, दस्त, सर्दी-जुकाम, बुखार के मरीज बढ़ रहे है। इस समय मौसम में बदलाव से मरीजों की संया बढ़ी है। इसमें सबसे ज्यादा मरीज मौसमी बीमारियों के आ रहे है। इन मरीजों में बच्चों की संख्या अधिक देखने को मिली।

ऑक्सीजन प्लांट सफेद हाथी बना

बीकानेर। करीब 11 हजार रुपए कीमत का एक सिलेंडर महज पांच से लेकर सात सौ रुपए में दुरुस्त करा कर उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इन्हें कचरे के ढेर में पटक कर करीब 50 लाख रुपए की सीधी चपत लगाई जा रही है। संभाग के सबसे बड़े पी.बी.एम. अस्पताल में ऑक्सीजन प्लाट्स के हालात किसी से छिपी नहीं हैं। करोड़ों रुपए के प्लांट सफेद हाथी बने हुए हैं। दूसरी ओर, निजी फर्म से ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के नाम पर करोड़ों रुपयों का भुगतान किया जाता है। बात इतनी सी ही नहीं है। करीब 600 सिलेंडर खराब होने का टेग लगा कर कचरे के ढेर जैसे स्टोर के पास खुले में पड़े हैं। खास बात यह है कि इनमें से अधिकांश सिलेंडर वॉल्व खराब होने का कारण बताते हुए उपयोग से बाहर किए गए हैं। तथ्य यह है कि करीब 11 हजार रुपए कीमत का एक सिलेंडर महज पांच से लेकर सात सौ रुपए में दुरुस्त करा कर उपयोग में लाया जा सकता है।

पुत्र को फंदे पर लटकाकर खुद ने लगाई फांसी

भीम, (निसं)। भीम पुलिस थाना अंतर्गत समेलिया ग्राम पंचायत के तीतरी राजस्व गांव में सोमवार देर रात्रि एक व्यक्ति ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को फंदे पर लटका कर खुद ने भी फांसी लगा ली जिससे दोनों पिता पुत्र घायल हो गए।

पिता-पुत्र के चीखने चिल्लाने पर दादी मां ने ग्रामीणों की सहायता से दोनों पिता-पुत्र की जान बचाई। घटना की सूचना पर भीम पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायलों को ग्रामीणों की सहायता से अस्पताल पहुंचाया।

ए.एस.आई. राम सिंह ने बताया कि समेलिया तीतरी निवासी रणजीत सिंह उर्फ अमर सिंह ने गत 8 जनवरी को अपनी पत्नी की गुमशुदगी भीम थाने में दर्ज करवाई थी। जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए रणजीत सिंह की पत्नी को 12 फरवरी को गुजरात से दस्तयाब कर थाने पर लेकर पहुंचे तो उसकी पत्नी नाता विवाह करना बताकर अपने प्रेमी देवेंद्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी लसाडिया के साथ के साथ चली गई। अपनी पत्नी के वियोग से अवसाद में आकर रणजीत सिंह अपने घर जाकर सोमवार देर रात्रि को पहले अपने 4 वर्षीय लड़के महावीर को फंदे पर लटकाकर खुद भी फांसी के फंदे पर लटक गया। पिता-पुत्र के चिल्लाने पर उनकी मां ने ग्रामीणों को सूचना दी। दोनों पिता पुत्रों को घायल अवस्था में भी अस्पताल ले गए। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर ब्यावर रैफर किया। चिकित्सालय में दोनों का उपचार जारी है।

आरोपी पांच दिन के पुलिस रिमांड पर

सायला, (निसं)। नाबालिग लड़की के फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय जालोर ने पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। जानकारी के अनुसार गत 12 जनवरी को उम्मेदाबाद निवासी एक दिव्यांग महिला ने पुलिस थाना सायला में रिपोर्ट पेशकर उसकी नाबालिग पुत्री को इरादतन बालिग बताने के लिए प्रवीण कुमार पुत्र दुधमल जैन निवासी मेंगलवा के विरूद्ध मिथ्या व कूटरचित दस्तावेज बनाने का मामला दर्ज करवाया था।

रिपोर्ट में बताया कि आरोपी प्रवीण जैन ने नाबालिग के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल की टीसी एवं अन्य दस्तावेज बनाकर आर्य समाज जोधपुर में शादी कर ली तथा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में फर्जी दस्तावेज पेशकर सुरक्षा भी ले ली। जिस पर पुलिस ने मामले की जांच की तो सामने आया कि आरोपी प्रवीण ने फर्जी तरीके से दस्तावेज बनाकर नाबालिग से शादी की है। सेशन न्यायालय जालोर द्वारा भी आरोपी की 5 फरवरी को अग्रिम जमानत खारिज की जा चुकी है। जिस पर पुलिस द्वारा आरोपी प्रवीण को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायिक मजिस्टेऊट जालोर के समक्ष पेश किया गया। जहां से आरोपी को 17 फरवरी तक पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया।

यह है मामला :- आरोपी प्रवीण कुमार पुत्र दुधमल जैन निवासी मेंगलवा नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर 21 सितंबर 2023 को मुम्बई से भगाकर राजस्थान ले आया। आरोपी प्रवीण जैन ने योजनाबद्ध तरीके से नाबालिग को इरादतन बालिग बनाने के लिए सायला में झूठा शपथपत्र 8 जुलाई 2023 को बनाकर नोटेरी पब्लिक सायला से नोटेरी करवाया तथा आवेदन पत्र में लगे प्रमाणीकरण फॉर्म पर उतरदायी व्यक्ति राजकीय कर्मचारी छगननाथ गोस्वामी प्रधानाचार्य राउमावि मेंगलवा व डॉ. उदयसिंह सोढा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सीएससी सायला द्वारा 28 जुलाई 2023 को प्रमाणीकरण कर उक्त आवेदन पत्र को ०8 अगस्त 2023 को कार्यपालक मजिस्टेऊट एवं तहसीलदार जालोर के समक्ष जन्म तिथि का पंजीयन हेतु पेश किया। आवेदन पत्र के साथ लगे आधार कार्ड व स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को कूटरचित कर आवेदन पत्र के साथ पेश किया। जिसका जन्म प्रमाण पत्र 18 अगस्त 2023 को ग्राम पंचायत उम्मेदाबाद से जारी किया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि नाबालिग ने कक्षा प्रथम से नवमी तक मुम्बई के एक निजी स्कूल में पढाई की थी। नाबालिग की वास्तविक जन्मतिथि 11 जुलाई 2008 है, जबकि आरोपी प्रवीण जैन द्वारा हाईकोर्ट में पेश फर्जी जन्म प्रमाण पत्र व टीसी में नाबालिग की जन्मतिथि 11 सितंबर 2005 बताई गई है। जिस पर नाबालिग की दिव्यांग मां द्वारा 12 जनवरी 2024 को पुलिस थाना सायला में आरोपियों के विरूद्ध मामला दर्ज करवाया गया था।

फाइनेंस कर्मचारी के बैग से तीन महिलाओं ने उड़ाए एक लाख रुपये

पावटा, (निसं)। फाइनेंस कंपनी में कैश कलेक्शन का कार्य करने वाले एक कर्मचारी के बैग में से एक महिला व दो लड़कियों ने एक लाख रुपये साफ कर दिए। फाइनेंस कर्मचारी ने महिला व दो लड़कियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

पुलिस ने आसपास की दुकानों की सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लेकर महिला व दो लड़कियों की तलाश शुरू कर दी है। गांव भांकरी निवासी कृष्ण फाइनेंस कंपनी में कैश कलेक्शन का कार्य करता है। गत दिवस पावटा कस्बे में अग्रवाल कॉम्प्लेक्स में एक व्यक्ति के पास दुकान पर कैश कलेक्शन करने आया था। उसी समय जैसे ही वह दुकान में घुसा उसके पीछे पीछे अज्ञात महिला भी दुकान में घुस गई। वही दोनों अज्ञात लडकिया बाहर उसका इंतजार करने लगी। अज्ञात महिला ने बैग के अंदर से एक लाख रुपये निकाल लिए व मौके से फरार हो गई। सारा मामला आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। मामले की सूचना प्रागपुरा थाना प्रभारी राजेश मीणा को दी गई, जिस पर थाना प्रभारी राजेश मीणा मय जाप्ता मौके पर पहुँचे व आसपास दुकानों मे लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किये। पुलिस ने महिलाओं की तलाश की लेकिन उनका सुराग नहीं लगा। थाना प्रभारी राजेश मीणा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी महिला व दो लड़कियों की तलाश शुरू कर दी है।

मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस ने सी.सी.टी.वी. खंगाले।

हाईकोर्ट ने कलक्टर को एक और अवसर दिया

जोधपुर, (कासं) । राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश डॉ.पी एस भाटी और न्यायाधीश राजेंद्र प्रकाश सोनी ने जिला कलक्टर के एक फरवरी के उप निदेशक,अभियोजन कार्यालय को खाली कर राज्य उपभोक्ता आयोग को सौंपने के वास्ते अंतिम अवसर प्रदान किया है। साथ ही अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देश दिए कि राज्य के उपभोक्ता आयोगों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने के लिए राज्य सरकार का क्या रुख है? आगामी पेशी 26 फरवरी तक न्यायालय को प्रगति से अवगत कराएं।

राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि पिछले साल राज्य उपभोक्ता आयोग की चल पीठ को हाइकोर्ट के निर्देशानुसार तत्काल प्रभाव से स्थाई कर दिया गया लेकिन उपभोक्ता भवन में दो जिला आयोग और राज्य उपभोक्ता आयोग के बैठने की समुचित जगह और व्यवस्था नहीं होने से डिप्टी रजिस्ट्रार, निजी सचिव, शीघ्र लिपिक और वरिष्ठ सहायक तथा कनिष्ठ सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के दो दो अतरिक्त पद पर सरकार की स्वीकृति बावजूद नियुक्ति नहीं की जा रही है,जिससे न्यायिक कार्रवाई में बाधा आ रजही है। प्रकरणों का निपटान देरी से हो रहा है। इसलिए उपभोक्ता भवन के नीचे स्थित उप निदेशक,अभियोजन विभाग को अन्यत्र शिफ्ट किया जाएं,ताकि उपभोक्ता भवन में राज्य आयोग की पीठ सुचारू रूप से संचालित हो सके।

जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल ने न्यायालय में गत पेशी पर उपस्थित होकर बताया कि वे स्वयं अपने स्तर पर इसे प्राथमिकता से लेकर देखेंगे कि उपभोक्ता भवन के आसपास राज्य उपभोक्ता आयोग के वास्ते सुव्यवस्थित जगह उपलब्ध हो जाएं। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि एसोसिएशन के सुझाव पर उचित कार्रवाई करेंगे। अधिवक्ता भंडारी ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में यह प्रावधान किया गया है कि उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की रिक्तियां होने से 6 माह पूर्व में ही रिक्तियों की अधिसूचना जारी कर उन्हें भरने की कार्रवाई की जाएं,लेकिन जोधपुर सहित अधिकांश जगह सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने से कोरम के अभाव में न्यायिक कार्रवाई अत्यंत देरी से हो रही है इस लिए सरकार को निर्देश दिया जाएं कि छह माह में खाली होने वाले पदों सहित सभी रिक्तियों को भरने की कार्रवाई से करें।

सुलभ काम्प्लेक्स के अभाव में कोटपूतली उपखंड मुख्यालय बदहाल, मुख्य द्वार पर भरा गंदा पानी

कोटपूतली उपखण्ड मुख्यालय के आसपास सड़क पर गंदा पानी भरे रहने के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है

कोटपूतली, (निसं)। कस्बे के ऐतिहासिक आजाद चौक में स्थित यहां का उपखण्ड मुख्यालय वैसे तो कोटपूतली के इतिहास व गौरव का प्रतीक है लेकिन स्थानीय प्रशासन व नगर परिषद की लापरवाही एवं अनदेखी के चलते सुलभ काम्प्लेक्स के अभाव में यह उपखण्ड मुख्यालय बदहाली का शिकार है। स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि उपखण्ड कार्यालय के मुख्य द्वार पर ही गंदा पानी भरा रहता है। वहीं कचरे के ढेर भी लगे हुए है। यही नहीं पास ही खड़े चल पेशाब घर से पेशाब भी गंदे पानी में जमा होता रहता है। जिससे उठने वाली दुर्गन्ध से उपखण्ड मुख्यालय के कार्मिकों, आमजन, अधिवक्ताओं व यहां आने वाले परिवादियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

उल्लेखनीय है कि उपखण्ड मुख्यालय या तहसील परिसर के नाम से पहचाने जाने वाले इस स्थान पर एसडीएम, तहसीलदार, डीएसपी, सब रजिस्टार, सहायक कलक्टर, जिला कोषाधिकारी समेत दर्जनों पटवारियों के कार्यालय भी है। प्रतिदिन यहां हजारों की संख्या में आमजन व परिवादियों का आवागमन होता है। गत वर्ष कोटपूतली के मास्टर प्लान के चलते जहाँ पूरानी नगर पालिका तिराहे से आजाद चौक स्थित उपखण्ड मुख्यालय के मार्ग का चौडा किया गया था। वहीं कोटपूतली के जिला बनने के बाद इस परिसर के नवीनीकरण की कवायद भी की गई थी। जिसके चलते यहाँ पहले से स्थित पेशाब घर के अलावा अधिवक्ताओं के बैठने के स्थान को भी तोड दिया गया था। जिसके बाद अधिवक्ताओं के बैठने के लिए नये स्थान का निर्माण तो कर दिया गया है लेकिन परिवादियों व आमजन की सुविधाओं के लिए विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते यहाँ प्रस्तावित सुलभ कॉम्पलेक्स का निर्माण नहीं हो सका है। जिसके चलते यहाँ आने वाले लोगों सहित अधिवक्ताओं को पेशाब के लिए इधर उधर जाना पडता है। इससे यहाँ आने वाले लोगों सहित महिलाओं को भी विशेष परेशानी होती है। जिससे निपटने के लिए नगर परिषद ने यहाँ चल पेशाब घर तो खडा कर दिया है लेकिन उससे पेशाब निकल कर उपखण्ड मुख्यालय के मुख्य द्वार पर ही नाले में जमा होता रहता है। जिससे निकलने वाली दुर्गन्ध के कारण यह मुख्यालय भारी बदहाली व अव्यवस्था का शिकार है।

- **कर्मचारियों, आमजन ने सुलभ काम्प्लेक्स बनवाने की मांग की**

इस सम्बंध में अधिवक्ताओं द्वारा कई बार एसडीएम समेत नगर परिषद में अवगत करवाया गया है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है साथ ही यहां लोगों का आवागमन भी बाधित हो रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि जब पुलिस प्रशासन के मुख्यालय का यह हाल है तो आमजन का क्या होगा। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एड. दयाराम गुर्जर ने बताया कि उपखण्ड मुख्यालय में होने वाले कामकाज से सरकार को भारी राजस्व की प्राप्ति भी होती है। ऐसे में जल्द से जल्द उपखण्ड कार्यालय पर सुलभ कॉम्पलेक्स का निर्माण करवाया जायें। साथ ही अस्थाई रूप से भी व्यवस्थाओं को दुरूस्त किया जायें।